न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 2/24

GCMS NO 2024/17

रामलाल पुत्र किशना जाति बैरवा निवासी हलोन्दा तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. प्रेमा पुत्र ग्यारसा जाति बैरवा निवासी हलौन्दा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2. विनोद पुत्र घनश्याम जाति बैरवा निवासी हलौन्दा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3. पूजा पुत्री स्व0घनश्याम पत्नि चिरंजीलाल जाति बैरवा निवासी हलोन्दा हाल निवासी शेरपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर
4. लक्ष्मी पुत्री स्व0घनश्याम पत्नि मन्नू जाति बैरवा निवासी हलौन्दा हाल निवासी खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
5. सुगना पत्नि स्व0घनश्याम जाति बेरवा निवासी हलोन्दा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार जरिये तहसीलदार तहसील व जिला सवाई माधोपुर
7. उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

रेस्पो0

अपील संख्या – 50/24

GCMS NO 2024/86

1. चिरंजीलाल पुत्र स्व0कोरीलाल बैरवा
2. हीरालाल बैरवा
3. चन्द्रप्रकाश बैरवा
4. प्रभूलाल बैरवा
5. राजाराम बैरवा
6. घनपाल बैरवा
7. बेवा नारायणी पत्नि स्व0 रामफूल बैरवा
8. मीरादेवी पुत्री स्व0रामफूल बैरवा
9. रामेश्वर बैरवा पुत्र स्व0रामफूल बैरवा
10. सम्पत बैरवा पुत्री स्व0रामफूल बैरवा
11. महावीर पुत्र स्व0रामफूल बैरवा निवासीयान ग्राम हलौदा तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. कालू पुत्र गोविन्दा बैरवा निवासी हलौदा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2. हैण्ड होल्डर तहसीलदार जरिये तहसील सवाई माधोपुर
3. उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

रेस्पो0

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:44:44 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

दोनो अपीले विरूद्व मु0नं0 119/15 निर्णय दिनांक 24.11.21 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री घनश्याम जाट

अभिभाषक रैस्पो0 कोई उपस्थित नही।

दिनांक 24.02.2025

निर्णय

प्रस्तुत दोनो अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्व निर्णय दिनांक 24.11.21 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर पेश की है ।

दोनो अपीले एक ही आदेश के विरूद्व पेश की गई है। प्रस्तुत दोनो अपीलो के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में मौती पुत्र जन्सी वगै0 जातियान बैरवा निवासीयान हलोन्दा तहसील व जिला सवाई माधोपुर ने एक वाद पत्र सन 2005 मे अधिनस्थ न्यायालय मे पेश कर कथन किया कि वादीगण ग्राम हलोदा के काश्कार पेशा व्यक्ति है। पूर्व मे वादीगण ग्राम बलरिया सुनारी ऐण्डा वगै0 से सम्वत 2010 मे आकर आबाद हुए थे तथा वादीगण के बुजुर्ग पटेलाल,ग्यारसा,छीतर, कवरया बैरवान को यह भूमि ग्राम हलोदा मे ठीकाना श्री राव बहादुरजी राजा मानसिह जी ठीकाना बरवाडा द्वारा समस्त चमारान को यह जमीन खेती के वास्ते उनके ठीकाने मे वाके होने के कारण काश्त हेतु दी गई थी जिसकी तहरीर राजासाहब द्वारा दिनांक 3.8.54 को उनके कारिन्दे री गुलाब चंद जैन अहलकार ठीकाना बरवाडा लिखाई जाकर दस्खस्त करके पटेलान को सुपुर्द की गई तब से वादीगण अपने पूर्वजो के समय से ही इस आराजीयात को काश्त करते चले आ रहे है। आराजीयात कोक उनके कब्जे के मुताबिक एवं वाद मे राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 15.10.55 को प्रभाव मे आने के बाद एवं लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत राजस्व विभाग द्वारा आवंटन की कार्यवाही प्रत्येक व्यक्ति को 15 बीघा भूमि आवंटन कर उनको दे दी गई उस समय तत्कालीन पटवारी हल्का नजीर अली के द्वारा यह जमीन मौके पर संभलवाई गई। इस आराजीयात को बाद मे वादीगण की खातेदारी अधिकार देकर खातेदारी दर्ज कर दी गई और भूमि पर बतौर खातेदारान वादीगण के नाम दर्ज हो गये। जो जमाबंदी सम्वत 2041 से 2044 मे दर्ज है। गत सेटलमेंट जो वर्ष 1999 मे किया गया उसमे अमीन द्वारा वादीगण को आराजीयात का रकबा मुताबिक आदेश क्रमाक 282 एस ओ टोंक दिनांक 19.2.99 कम कर दिया गया और इसी आदेश से ख0न0 98,113,117,119,123,125,126,127,134 के रकबे मे कमी कर दी गई। वादीगण की उपरोक्त आराजीयात ख0न0 मे से जो रकबा कम किया गया है वह रकबा 589 बीघा 9 विस्वा सिवायचक किया जा चुका है। जो सेटलमेंट विभाग द्वारा मनमाने तरीके से गलत तरीके से कम किया गया है तथा आदेश क्रमांक 282 दिनांक 19.2.99 एस ओ टोंक द्वारा पारित आदेश क्रमांक 13/227 राजस्थान/ग्रुप/1/93 दिनांक 23.5.94 राजस्थान सरकार द्वारा प्रमुख शासन सचिव (राजस्व) के द्वारा पारित आदेश की रोश[illegible] ही निरस्त किये जाने योग्य है क्योकि इस आदेशानुसार प्रत्येक [illegible] का आदेश पारित किया गया है इस आदेश से प्रत्येक सहखातेदार [illegible] वादीगण की खातेदारी बदस्तूर रखी जानी थी वैसे भी प्रतिवादीगण को इस आराजी का रकबा कम करने का कोई अधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:44:44 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

नही था। सेटलमेंट विभाग को किसी भी व्यक्ति की खातेदारी समाप्त करने का कोई अधिकार नही है। वादीगण जिनका रकबा कम किया गया है वह आराजी ख0न0 125,126,127 ग्राम हलोन्दा के काश्तकार खातेदार है। जिनका रकबा कम करना या सिवायचक दर्ज करने का अधिकार सेटलमेट विभाग को नही है। इस प्रकार प्रत्येक काश्तकार की प्रस्तुत जमाबंदी मे दर्ज आराजीयात जिसमे 15 बीघा प्रत्येक व्यक्ति के नाम दर्ज कर उस आराजी को घटाने अथवा बढाने एवं उसका स्थान तब्दील करने का कोई अधिकार सेटलमेंट विभाग/प्रतिवादी को नही था। सेटलमेंट विभाग द्वारा अनुचित रूप से वादीगण की आराजीयात की मौका स्थिति तब्दील कर दी गई नवीन नम्बरान इस प्रकार बनाये गये कि प्रत्येक काश्तकार खातेदार को अपनी मौके की स्थिति से हटकर दूसरे स्थान पर कब्जा प्राप्त करना पडेगा और पूरे गांव के काश्तकार को एक दूसरे के विरूद्ध मुकदमे बाजी मे फंसना पडेगा। क्योकि आज जिस स्थिति मे जो खातेदारान काबिज है उनकी उसी स्थिति मे वही पर उसी खसरा न0 के मुताबिक राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जानी चाहिए जो नही की गई है। वादीगण भौतिक रूप से मौके पर काबिज काश्त है उनकी भूमि को सिवायचक मानकर प्रतिवादीगण द्वारा बेदखली की कार्यवाही कर दी जाती है तो उनके वैधानिक अधिकार समाप्त हो जावेगे और उनको जीवनभर मुकदमे मे फंसना पडेगा। इसके लिए न्यायसंगत है कि राजस्व रिकार्ड मे इस आशय की दुरूस्ती की जावे तथा बतौर खातेदार उनका नाम उक्त ख0न0 मे उनके खाते के मुताबिक दुरूस्ती की जावे। उक्त गलत इन्द्राज को सही कराने बाबत वादीगण द्वारा उच्चाधिकारियो को कई बार निवेदन किया जा चुका है परन्तु किसी प्रकार की कोई दुरूस्ती नही हो पाई है। इस प्रकार यह भूमि जो प्रत्येक काश्तकार के खाते एवं कब्जे मे है उसको उसी खाते की मुताबिक तरमीम करके जो काश्तकार जहॉ काबिज है उसी स्थान पर उसके खातेदारी के इन्द्राज राजस्व जमाबंदी व ट्रेस मे किया जाना चाहिए था, किन्तु ऐसा नही कर गलत तरमीम कर रकबा कम करके वादीगण को खातेदारी अधिकार से वंचित कर दिया जो सर्वथा अनुचित है। वादीगण को यह अधिकार है कि वह अपने कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि पर मुताबिक संलग्न जमाबदियां इस आशय की करावे कि वह विवादित भूमि वाके ग्राम हलोन्दा के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी सेटलमेंट विभाग व तहसीलदार को इस आशय की दुरूस्ती कराने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि वह आराजीयात की खातेदारी उनके नाम राजस्व जमाबंदी मे बदस्तूर साबित करे तथा आराजीयात को सिवायचक रकबे के इन्द्राज को समाप्त करे तथा ऐसी कोई कार्यवाही नही करे जिससे वादीगण के खातेदारी हकूक प्रभावित नही हो। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय वादी का वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर प्रतिवादीगण द्वारा इस न्यायालय मे अपील संख्या 37/15 मौती बनाम सरकार पेश की गई थी। जिसमे इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.9.15 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.3.15 निरस्त कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया ... कि ... वादीगण से तथा वन विभाग से भी साक्ष्य सबूत लेकर मौके की ... तथा उभयपक्ष को

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:44:44 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

3. उप जिला कलक्टर महोदय सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये थे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय हाजा के निर्णय की पालना मे विधि अनुसार पालना की जाकर वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपीले पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो० को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बाबजूद तामिल रेस्पो० की और से कोई उपस्थित नही हुआ। बहस अपीलांट अधिवक्ता की अपील पर एक पक्षीय सुनी गई।

अपील संख्या 2/2024

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विसंगति पूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सेटलमेंट की रिपोर्ट की असहमति व्यक्त की गई है परन्तु फिर भी अपने निर्णय मे सेटलमेंट की सूची दिनांक 27.11.14 को आदेश का अंश बनाकर अहम भूल की है। सेटलमेंट की रिपोर्ट दिनांक 27.11.14 न तो सही है और न ही सम्पूर्ण है। उक्त सेटलमेंट रिपोर्ट को न्यायालय हाजा द्वारा निरस्त किया जा चुका है। फिर भी उसको आधार बनाकर निर्णय पारित किया गया है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत वाद पत्र मे वादीगण 213 थे जिनमे अपीलांट का क्रम संख्या 104 पर रहा है। अपीलांट को 15 बीघा भूमि आवंटन हुई उसका ख0न0 127/1 क्षैत्रफल 15 बीघा अपीलांट को भूमि आवंटन हुई। जब से ही आवंटित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट के कब्जे की भूमि का सेटलमेंट सर्वे रामनिवास घनश्याम प्रेमा रेस्पो० का नाम होने से रेस्पो० संख्या 1 लगायत 5 के नाम राजस्व रिकार्ड मे अमल हो गया। जबकि रेस्पो० संख्या 1 ता 5 का मौके पर भूमि ख0न0 1377 रकबा 1.20 है0 पर कभी कब्जा नही रहा है। वर्तमान मे भी कब्जा नही है। उनका अन्य आराजीयात पर कब्जा है। परन्तु रेस्पो० संख्या 6 द्वारा मौके की जॉच किये बिना ही रेस्पो० संख्या 1 व मृतक घनश्याम के वारिस रेस्पो० संख्या 2 ता 5 व मृतक रामनिवास जो अविवाहित जिसकी मृत्यु दिनांक 4.1.87 को हो चुकी थी उसके वारिसान की जॉच किये बिना खोजा है जो गलत है एवं निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.3.15 के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा मे अपील संख्या 37/15 उनवानी मोती वगै0 बनाम उप जिला कलेक्टर पेश की गई थी जिसका निर्णय दिनांक 30.9.15 को किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करते हुए वादीगण/अपीलांट से तथा वन विभाग से साक्ष्य सबूत एवं मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट मंगवाई जाकर वादीगण एवं अपीलांट की उपस्थिति मे साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर [illegible] सम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया। परन्तु अधिनस्थ [illegible] मौके पर वास्तविक स्थिति जो व्यक्ति जहॉ काबिज है उसकी रिपोर्ट मंगवाई और [illegible] प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 27.11.14 की रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय पारित कर दिया गया। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:44:44 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे रेस्पो0 संख्या 6 को ही अपने निर्णय से उपर रखकर विवादो का निस्तारण करना चाहा है जो विधि विरूद्व है । निर्णय सेटलमेंट सर्वे रिपोर्ट दिनांक 27.11.14 को ही महत्व देकर अहम भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय प्रशासन गांवो के संग अभियान मे बिना ग्रामवासियो को सुनवाई का अवसर दिये ही पारित किया गया है तथा व्यक्तिगत रूप से प्रार्थी को साक्ष्य सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है। अपीलार्थी के आवंटन के समय से ही कब्जे शुदा भूमि को रेस्पो0 प्रेमा,स्व0घनश्याम एवं स्व0रामनिवास के नाम राजस्व रिकार्ड मे गलत लगा दी गई है। घनश्याम की मृत्यु हो चुकी है। उसके वारिसान रिकार्ड पर है रामनिवास अविवाहित मर चुका है। रेस्पो0 का कब्जा अन्य आराजीयात पर है एवं रिकार्ड मे अपीलार्थी की आराजी ख0न0 1377 रकबा 1.20 है0 का इन्द्राज होना है। इसी कारण यह अपील पेश करनी आवश्यक हुई। अपीलांट का आवंटन के समय से ही ख0न0 1377 रकबा 1.20 है0 पर कब्जा है जो सेटलमेंट की गलती से रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 के नाम लग गई है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान करने का आदेश दे रखा है परन्तु सेटलमेंट सर्वे रिपोर्ट को आधार बनाकर अहम भूल की है ऐसी स्थिति मे निर्णय सेटलमेंट रिपोर्ट 27.11.14 सहित निरस्त योग्य है। सेटलमेंट सर्वे रिपोर्ट 27.11.14 एवं इससे पूर्व बनाई गई सेटलमेंट सर्वे रिपोर्ट दिनांक 31.8.12 दोनो ही एक दुसरे की कॉपी है कोई अन्तर या परिवर्तन नही है इसलिए रिपोर्ट को निर्णय का बेस बनाकर अधिनस्थ न्यायालय ने अहम भूल की है। मूल दावे मे अपीलार्थी आवंटन के समय से ही कब्जे की आराजी ख0न0 1377 रकबा 1.20 है0 की हद तक अपील पेश कर रहा है इसी आधार पर रेस्पो0 बनाये गये है। जो ही आवश्यक पक्षकार है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना हेतु अपीलांट लगातार कभी पटवारी कभी गिरदावर व कभी तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन करता रहा परन्तु उनके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नही दिये जाने एवं प्रेमा व मृतक घनश्याम की विरासत का नामा0 संख्या 227 गलत खोल कर स्पष्ट कर दिया कि रेस्पो0 संख्या 6 निर्णय की पालना नही कर रहे है। इसके बाबजूद न्यायालय हाजा मे अपील पेश करने पर न्यायालय हाजा द्वारा अपील क्षेत्राधिकार के अभाव मे एडमिशन पर दिनांक 27.2.23 को खारिज कर दी गई। जिसके संबंध मे संभागीय आयुक्त भरतपुर के यहॉ चाराजोही करने पर संभागीय आयुक्त द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की अपील संभागीय आयुक्त के यहॉ पोषनीय नही होकर न्यायालय हाजा मे पोषनीय होना निर्देशित किया गया। जिसके बाबत अति0संभागीय आयुक्त भरतपुर के यहॉ चाराजोही करने पर उनके द्वारा अपील मूल ही लौटाई जाकर न्यायालय हाजा मे अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। इस कारण प्रोपर समय पर अपील न्यायालय हाजा मे पेश नही हो सकी। इस प्रकार अपील अन्दर मियाद पेश है फिर भी धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से अपील के साथ संलग्न कर निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.11.21 व सेटलमेंट सर्वे रिपोर्ट दिनांक 27.11.14 को तथा गलत रूप से खोला गया नामा0 संख्या 227 दिनांक 12.9.22 को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के पक्ष मे खतौनी संख्या 116 के खसरा न0 127/1 रकबा 15 बीघा जिसका नवीन ख0न0 1377 रकबा 1.20 है0 वाके ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:44:44 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

हलोन्दा तहसील सवाई माधोपुर पर आवंटन के समय से पूर्व खातेदारी जमाबंदी सम्वत 2041–2044 को आधार मानते हुए आवंटन के समय से खातेदारी अधिकार प्रदान करने की कृपा करे।

अपील संख्या 50/24

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विसंगति पूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सेटलमेंट की रिपोर्ट की असहमति व्यक्त की गई है परन्तु फिर भी अपने निर्णय मे सेटलमेंट की सूची दिनांक 27.11.14 को आदेश का अंश बनाकर अहम भूल की है। सेटलमेंट की रिपोर्ट दिनांक 27.11.14 न तो सही है और न ही सम्पूर्ण है। उक्त सेटलमेंट रिपोर्ट को न्यायालय हाजा द्वारा निरस्त किया जा चुका है। फिर भी उसको आधार बनाकर निर्णय पारित किया गया है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत वाद पत्र मे वादीगण 213 थे जिनमे अपीलांट का क्रम संख्या 31 पर रहा व अपीलांट संख्या 2 लगायत 6 का पिता स्व0गोपाल का नाम क्रम संख्या 29 पर व अपीलांट संख्या 7 ता 11 के पिता स्व0रामफूल का नाम क्रम संख्या 30 पर था। अपीलांटान के पिता कोरीलाल पुत्र भोलू उर्फ मोडू को भूमि ख0न0 74/2 रकबा 15 बीघा अपीलांटान के पिता स्व0कोरीलाल को आवंटित हुई जब से आवंटन भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.3.15 के विरूद्व न्यायालय हाजा मे अपील संख्या 37/15 प्रस्तुत की थी। जिसका निर्णय दिनांक 30.9.15 को न्यायालय हाजा द्वारा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुए अपील स्वीकार की जाकर वादीगण एवं अपीलांट तथा वन विभाग से साक्ष्य सबूत एवं मौके की स्थिति की रिपोर्ट मंगवाई जाकर वादीगण एंव अपीलांटान की उपस्थिति मे सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करने के आदेश दिये जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया गया। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो पुनः मौके की वास्तविक स्थिति जो व्यक्ति जहॉ अपनी भूमि पर काश्त है उसकी रिपोर्ट मंगवाई और पूर्व की मौका रिपोर्ट दिनांक 27.11.14 को आधार बनाकर पुनः निर्णय पारित कर अहम भूल की है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अपीलांट द्वारा उच्चाधिकारियो को शिकायत करने के उपरान्त भी रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा मनमानी पूर्ण तरीके से अपीलांट की भूमि ख0न0 1532 का नामा0 रेस्पो0 संख्या 1 के नाम खोलकर राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज किया गया है जो गलत है। भूमि ख0न0 1532 पर रेस्पो0 संख्या 1 का कब्जा ना तो पूर्व मे था ना ही वर्तमान मे है। क्योकि रेस्पो0 संख्या 2 ने सर्वे सूची दिनांक 27.11.14 तैयार की। उस सूची को माननीय न्यायालय द्वारा अपील संख्या 37/15 दिनांक 30.9.15 को निरस्त किया जा चुका है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे रेस्पो0 सं[illegible] से उपर रखकर विवादो का निस्तारण करना चाहा है जो विधि[illegible] दिनांक 27.11.14 को महत्व देकर कानूनी भूल की है। रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा [illegible] न करके पूर्व सर्वे सूची की नकल कर दूसरी सूची सर्वे तैयार इसी रिपोर्ट को मान लिया है। जो निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:44:44 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अधिनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय प्रशासन गांवो के संग मे निर्णित किया है जिसमे किसी भी प्रकार की सुनवाई का अवसर ग्रामवासियो को नही दिया गया तथा व्यक्तिगत रूप से अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्रदान नही किया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व होने से निर्णय निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत वाद पत्र मे वादीगण 213 पक्षकार थे जिनमे अपीलांट संख्या 1 अपीलांट संख्या 2 ता 6 का पिता स्व0 गोपा का नाम 29 व अपीलांट संख्या 7 ता 11 के पिता पति का नाम कम संख्या 30 पर है। इस भूमि मे अपीलांट अपने बुजुर्गो के समय से ही काबिज थे। भूमि ख0न0 1532 रकबा 0.4400 को रेस्पो0 संख्या 1 के नाम रेस्पो0 संख्या तीन के द्वारा बिना मौके की जॉच किये ही रेस्पो0 संख्या 1 के राजस्व रिकार्ड का नामा0 गलत खोला है। जबकि रेस्पो0 का कब्जा उक्त नम्बर पर कभी नही रहा। उसका कब्जा अन्य आराजीयात पर है। अपीलांट का आवंटन के समय से ही कब्जा ख0न0 1532 रकबा 0.4400 है0 पर है जो सेटलमेट की गलती से रेस्पो0 संख्या 1 के नाम लग गई है। अधिनस्थ न्यायालय ने कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने का आदेश दिया है परन्तु सेटलमेंट रिपोर्ट दिनांक 27.11.14 को आधार बनाकर अहम भूल की है। ऐसी स्थिति मे निर्णय सेटलमेंट रिपोर्ट दिनांक 27.11.14 सहित निरस्त योग्य है। सेटलमेंट रिपोर्ट एवं इससे पूर्व बनाई गई सर्वे सेटलमेंट रिपोर्ट 31.8.12 दोनो एक दूसरे की कॉपी है कोई अन्तर या परिवर्तन नही है। इसलिए सेटलमेंट रिपोर्ट को निर्णय का बेस बनाकर अधिनस्थ न्यायालय ने भूल की है। रिपोर्ट दिनांक 27.11.14 को अपीलीय न्यायालय निरस्त कर चुका है जिसमे एक आधार यह भी था कि सेटलमेंट रिपोर्ट की गलती है परन्तु उसी को आधार मानकर निर्णय देना विधि के प्रावधानो के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना हेतु अपीलांट लगातार कभी पटवारी कभी गिरदावर व कभी तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन करता रहा परन्तु उनके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नही दिये जाने एवं दिनांक 22.6.22 को रेस्पो0 संख्या 1 के नाम नामा0 संख्या 219 गलत रूप से खोलने से स्पष्ट कर दिया है। इस कारण माननीय न्यायालय मे अपील करने मे देरी हुई है। जो अपीलांट की सदभावी भूल है। फिर भी मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील मे साथ संलग्न है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.11.21 व सर्वे रिपोर्ट दिनांक 27.11.14 तथा रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे खोला गया नामा0 संख्या 219 को अपीलांट के कब्जे की भूमि की हद तक निरस्त कर अपीलांट पुराना ख0न0 74/2 रकबा 15 बीघा नवीन ख0न0 1532 रकबा 0.4400 है0 वाके ग्राम हलोदा को खातेदारी अधिकार प्रदान करने की कृपा करे। रेस्पो0 संख्या 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि अपीलांट के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे किसीं प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे ना ही अपने प्रतिनिधी से करावे।

अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आया कि ग्राम पंचायत खिरिसान हलौदा द्वारा एक साथ 213 वादीगण द्वारा एक वाद पत्र अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिसमे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने पर उनके द्वारा इस न्यायालय मे अपील संख्या 37/15

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:44:44 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

दायर की गई थी। जिस पर इस न्यायालय द्वारा 30.9.15 को अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण वन विभाग से साक्ष्य सबूत प्राप्त कर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये थे। पत्रावली मे अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि ग्राम हलोदा की भूमि के लिए वाद पत्र धारा 88 व 188 का पेश किया गया था। जिसके अनुसार सेटलमेंट विभाग के पत्र कमांक 282 एस आरे टोक दिनांक 19.2.99 के आदेश से रकबा 589 बीघा 9 विस्वा को सिवायचक दर्ज किया गया है। जबकि अपीलांट/वादीगण का कथन रहा कि ग्राम हलोदा की भूमि हमारे पूर्वजो को ठिकाना श्री राव बहादुरजी राजा मानसिह के समय से बैरवान जाति को खेती के लिए दी गई थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर आवंटन की प्रकिया पूर्ण कर आवंटन कर दी गई। तब से भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। सेटलमेंट विभाग द्वारा भूमि का रकबा कम किये जाकर सिवायचक दर्ज किये जाने के कारण वाद पत्र पेश किया गया था। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के द्वारा स्पष्ट निर्देशित किया गया था कि वन विभाग एवं वादीगण/अपीलांटान से साक्ष्य सबूत प्राप्त कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करे। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान मे प्रकरण नियत कर निर्णय पारित किया गया है। पत्रावली को अभियान मे नियुक्त करने से पूर्व विधि के प्रावधानो के तहत वादीगण को जरिये न्यायालय सूचित किया जाना चाहिए था। इसके संबंध मे अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर किसी प्रकार का कोई उल्लेख नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र वादीगण के पक्ष मे तो निर्णित किया गया है परन्तु निर्णय की पालना नही होने के कारण एवं कब्जे अनुसार पालना नही किये जाने के फलस्वरूप ही अपीलांट द्वारा पुनः अपील पेश की गई है। यदि अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना अक्षरक्ष नही होती है तो अन्य वादीगण द्वारा अपीले इस न्यायालय मे पेश किये जाने की संभावना प्रतीत होती है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 30.9.15 के अनुसार प्रकरण मे पुनःवादीगण/अपीलाट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलांट इस अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण मे आपके निर्णय दिनांक 24.11.21 की पालना सुनिश्चित कराते हुए अपीलांटान की आराजीयात ख0न0 1377 रकबा 1.20 है0 एवं ख0न0 1532 रकबा 0.5700 है0 ग्राम हलोदा की हद तक अपीलांटान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उक्त आराजीयात ख0न0 1377 व 1532 के मौके की कब्जे की रिपोर्ट प्राप्त की जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अपीलांटान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मे [illegible] 09.4.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति दोनो [illegible] संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2025 को लिखाया [illegible] इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कान्त बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:44:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner